निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 102 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल** के माह 02/2016 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी॰के॰ मट्टू श्री मनोज कुमार पर्यवेक्षक व श्री नन्दन सिंह लेखा परीक्षक के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस॰एस॰दरियाल व श्री अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27/02/2016 से 05/03/2016 तक श्री वी॰एस॰ पवार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षाअधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2015 से 01/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	-	-	401.57	398.14	-	03.43
2014-15	-	-	-	-	429.71	425.03	-	04.65
2015-16	-	-	-	-	451.70	441.45	-	10.25
2016-17 (12/16 तक)	-	-	-	-	614.06	352.30	261.76	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रार म्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	4700,8443		712.94	712.76	.18
2014-15	4700,4711,2245,8443,2761,2311		2561.23	2434.61	126.62
2015-16	4711,2245,8443,		1994.88	1992.73	02.15
2016-17(upto 31/12/16)	279,2711,4771,4700,8443,3701, 3711		735.51	582.34	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन जिला योजनाए एवं centrally sponsored schemes के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में खंड का कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह 03/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 12/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 2851.00

भाग द्वितीय ` 4014.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 1,56,891.16

(ख) सामग्री क्रय ` Nil

(ग) नगद परिशोधन ` Nil

(घ) निक्षेप ` 5,02,02,572.90,

ङ भण्डार ` 50,53,032.96

Hkkx nks ¼c½

izLrj%1& Hk.Mkj ys[ks esa :0 1498-00 yk[k dh ykxr ds lhesaUV dh fHkUurk gksukA

dk;kZy; vf/k"kklh vfHk;Urk] flpkbZ [k.M] Jhuxj ds vfHkys[kksa dh uewuk tkWap ¼tuojh 2017½ esa ik;k x;k fd [k.M ds Hk.Mkj.k lkexzh vfHkys[k 4&,l0 esa ekg 3@2014 dh ys[kkcUnh ds le; dqy 5281 cSx ¼vFkkZr 264-05 मैट्रिक Vu ½ lhesaUV ds vo"ks'k n"kkZ;s x;s Fksa tcfd [k.M)kjk o'kZ 2013&14 esa वाणिज्य dj foHkkx dks miyC/k djk;s x;s LVsVesaUV ds vuqlkj 22]031-70 मैट्रिक Vu ¼vFkkZr 440634 cSx½ lhesaUV LVkWad esa vfUre vo"ks'k n"kkZ;k x;k FkkA vr% [k.M)kjk Hk.Mkj ys[ks esa dqy 435353 cSx lhesUV ds de n"kkZ;s tk jgs Fksa] ftudh ykxr fuxZe nj ds vuqlkj :0 1497-61[1] yk[k FkhA

ys[kkijh{kk)kjk mijksDr ds lEcU/k esa bafxr fd;s tkus ij [k.M)kjk mRrj esa ys[kkijh{kk dh vkifRr dks Lohdkj djrs gq,s "kkh?kz gh feyku djds vfxze dk;Zokgh djus dk vk"oklu fn;k x;kA

vr% Hk.Mkj ys[ks esa :0 1498-00 yk[k dh ykxr ds lhesaUV dh fHkUurk dk izdj.k mPpkf/kdkfj;ksa ds laKku esa yk;k tkrk gSA

[1] 435352 cSx x :0 344@ = :0 14]97]61]432-00

भाग-2(ब)

प्रस्तर-2 निक्षेप मद में ☐ 4,34,19,482.05 की धनराशि का अवशेष रहना।

अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया की खंड ने ☐ 4,34,19,482.05 की धनराशि निक्षेप मद में रखी गई है। जबकि निक्षेप मद में प्राप्त धनराशि निश्चित समयन्तराल में उपयोग कर शेष धनराशियों संबन्धित ग्राहक विभाग को वापस किया जाना था लेकिन खंड द्वारा शासकीय धनराशि को निक्षेप मद में रखा है जो कि गम्भीर अनियमित्ता का घोतक है।

उक्त को इंगित करने पर खंड के उत्तर में बताया कि निक्षेप मद में अवशेष धनराशि का समायोजन करके अगले संप्रेक्षा दल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कि यह धनराशि 2/94 से पहले कि निक्षेप मद में पड़ी हुई है। अत: ☐ 4,34,19,482.05 का अनियमित तरीके से निक्षेप मद में रखे जाने का प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Hkkx nks ¼c½

izLrj 3 :0 24.73 लाख **dh jk;YVh dh de olwyh fd;k tkukA** -mÙkjk[k.M “kklu vkS|ksfxd fodkl vuqHkkx la[;k 1207@VII&1@24&[k@2007 nsgjknwu fnukad 07 vxLr 2015 ls fnukad 23 tuojh 2016 rd fofgr iz;kstuksa ds fy, iz;qDr gksus okyh ckyw ;k eksje ctjh ;k oksYMj ;k blesa ls dksbZ Hkh feyh tqyh voLFkk esa gks dh fo|eku jk;YVh dh njsa 50-00 izfr Vu ;k :0 90-00 izfr घनमीटर ds LFkku ij :0 200-00 izfr घनमीटर izfrLFkkfir fd;k x;k Fkk fnukad 24@1@2016 dks tkjh “kklukns”k ij ekuuh; mPp U;k;ky;)kjk LFkxu vkns”k tkjh dj fn;k FkkA rRi”pkr fnukad 19@5@2016@ dks “kklukns”k l[a;k 842 esa 194-50 izfr?kuehVj ls jk;YVh dh dVkSrh djus ds vkns”k tkjh fd;s x;s FksA “kklukns”k esa ;g Li’V mfYyf[kr gS fd ;g rqjUr izo`Rr gksxhA dk;kZy; vf/k”kklh vfHk;Urk flpkbZ [k.M Jhuxj की ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd lfonkdkj QeZ eSfFk;ku कंस्ट्रक्शन izk0 fy0 143 vkdk”knhi dkyksuh :Mdh ds ns;dks ls izfrLFkkfir jk;YVh dh nj :0 90-00 izfr ?kuehVj iqjkuh njksa ls gh dVkSrh dh tk jgh gSA vr% vUrj lkexzh lSM 6261-86 ?kuehVj ,oa iRFkj 17406-80 ?kuehVj dqy 23668-66 vUrj nj 104.50 dqy :0 2473375 jk;YVh dh de olwyh lfonkdkj ds ns;d la[;k 10 ls dh x;h FkhA

bl lEcU/k esaa iwNus ij foHkkx)kjk vius mRrj esa voxr djk;k fd jkW;YVh “kklukns”k nsjh ls izkIr gksus ds dkj.k olwyh ugh dh x;h FkhA “kh?kz gh izLrqr gksus okys ns;dksa ls olwyh dj yh tk;sxh] rFkk dk;kZy; egkys[kkdkj dks Hkh d`r dk;Zokgh ls voxr djk fn;k tk;sxkA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग-II ‘अ’

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

भाग-II ‘ब’

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
64/2004-05	01	01
69/2005-06	01	05
18/2009-10	01	-
57/2010-11	01	-
115/2014-15	-	01
119/2015-16	-	03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) –
   (ii) –
   (iii) -
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
   (ii)
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री बहादुर सिंह यादव	अधिशासी अभियंता

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, श्रीनगर पौड़ी, गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।
   (i) श्री एन॰एस॰ रावत 02/2016 से 31/07/2016
   (ii) श्री पदमेन्द्र सिंह 01/08/2016 से अब तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2